> आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए हमें सुनिश्चित करना है कि इसमें सबकी भागीदारी हो, सभी योगदान करें और यह सबके लिए हो. सबको विकास का अवसर मिले.
>
> —बेट्सी हॉजेज़ [1]

4

मिलकर, बढ़ें आगे

कोविड के विरुद्ध लड़ाई ने सरकारों को सिखाया है कि सामान्य समय में जन केंद्रित संस्थाओं में किया गया निवेश आपात स्थितियों में बेहद कारगर साबित होता है. स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और कृषीतर उत्पादक संगठनों ने ग्रामीण भारत में महामारी से लड़ने में सक्रिय भूमिका निभाकर यह सिद्ध कर दिया है.

नाबार्ड अपने पास उपलब्ध विभिन्न निधियों का उपयोग करके ग्रामीण जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए[2] ग्रामीणों की, उनके द्वारा और उनके लिए आधार स्तरीय संस्थाओं का निर्माण व विकास करता रहा है. महामारी के दौरान ये संस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई हैं. विकास के इस तंत्र को जीवंत एवं सक्रिय बनाए रखने के लिए नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया और इन संस्थाओं में कौशल विकास, आजीविका विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन और अकादमिक जुड़ाव पर विशेष ध्यान दिया. विकास से वंचित रहे व्यक्तियों (जैसे- जनजातीय समुदायों) और भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र) के पक्ष में सकारात्मक झुकाव नाबार्ड के इन उपायों की आधारशिला है.इस अध्याय में ग्रामीण भारत के लिए एक गतिमान विकास पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उठाए गए कदमों से प्राप्त उपलब्धियों का विवरण दिया जा रहा है.

4.1 सामुदायिक संस्थाओं का विकास

4.1.1 सूक्ष्म वित्त संस्थाएं

स्वयं सहायता समूहों का विस्तार

एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 1993 में अपने आरंभ से ही महिलाओं को बचत और उधार के लिए सक्षम बनाकर तथा सामाजिक पूंजी का विकास करके उनका जीवन उन्नत कर रहा है. वर्तमान एसएचजी-बीएलपी कार्यक्रम के दायरे में लगभग 1.1 करोड़ एसएचजी और 13.5 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं (चित्र 4.1).

चित्र 4.1: एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की प्रगति

	संवितरित ऋण	बकाया ऋण	बैंकों में जमा	अन्य मेट्रिक्स
विव 2020	31,46,002 एसएचजी ₹77,659.3 करोड़	56,77,071 एसएचजी ₹1,08,075.1 करोड़	102,43,323 एसएचजी ₹26,152.1 करोड़	4.9% एनपीए ₹2.5 लाख (प्रति एसएचजी औसत संवितरण)
विव 2021	28,87,394 एसएचजी ₹58,070.7 करोड़	57,80,244 एसएचजी ₹1,03,298.7 करोड़	1,12,23,400 एसएचजी ₹37,477.6 करोड़	4.7% एनपीए ₹2.0 लाख (प्रति एसएचजी औसत संवितरण)
परिवर्तन (विव 2020 से विव 2021)	-8.2% -25.2%	1.8% -4.4%	9.6% 43.3%	-3.9% -18.62%

नोट: एनपीए = अनर्जक आस्तियाँ; एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.

चित्र 4.2: स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता और संधारणीयता

अध्ययन के निष्कर्ष: तेलंगाणा में पुराने एसएचजी की संधारणीयता बढ़ाने वाले कारक

स्वयं सहायता समूहों की सफलता

- अधिकांश एसएचजी ऋणों का उपयोग उत्पादन प्रयोजनों के लिए किया गया.
  - उत्पादन (52%)
  - सामाजिक आवश्यकताएं (23%)
  - आस्ति निर्माण (22%)
  - उपभोग (3%)
- उद्यम गतिविधियों के प्रोत्साहन में एसएचजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
- निवेश का एक बड़ा हिस्सा एसएचजी ऋणों से प्राप्त किया गया (48%).
- एसएचजी सदस्यों की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है.

एसएचजी संधारणीयता के संवर्धक तत्व

- सदस्यों का नीति वाक्य (मोटो)
- नेतृत्व में नियमित आवर्तन (रोटेशन)
- नियमित बैठकें
- सरकार की सक्रिय भूमिका
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
- एसएचजी डेटा का डिजिटलीकरण
- औपचारिक ऋण के एकाधिक स्रोतों से बड़े ऋण

चिंताएं

- कई एसएचजी में कमज़ोर बुककीपिंग
- एसएचजी बचत खातों में पड़ी अप्रयुक्त राशि (औसतन ₹61,922)
- सामाजिक और उपभोग ज़रूरतों के लिए ऋण का उपयोग
- सामूहिक उद्यम शुरू करने के प्रति अनिच्छा
- एक-चौथाई एसएचजी अपनी बचत का उपयोग आंतरिक ऋणों के लिए नहीं करते हैं

सुझाव

- मोबाइल बुककीपिंग में सहायता के लिए एसएचजी डिजिटलीकरण
- एसएचजी व उनके संघों का क्षमता निर्माण, आजीविका विकास पर विशेष ज़ोर
- खाद्य प्रसंस्करण पर एसएचजी संघों और एफ़पीओ में समन्वय, मूल्य-शृंखला को बढ़ावा देना
- बाज़ार से लिंकेज में सहायता करना
- वित्तीय साक्षरता का प्रसार

नोट: एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन; एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.

स्रोत: महिला अभिवृद्धि सोसाइटी (2020), तेलंगाणा में पुराने एसएचजी की संधारणीयता (नाबार्ड द्वारा प्रायोजित अध्ययन).

वित्तीय वर्ष 2021 में नाबार्ड ने करीब 6.8 लाख एसएचजी गठित किए; करीब 4 लाख के लिए बैंक ऋण सुनिश्चित किया; और 8.7 लाख से अधिक एसएचजी संवर्धित करने की नियोजित वचनबद्धता के अंतर्गत ₹418.2 करोड़ की मंजूरी के समक्ष ₹170.2 करोड़ जारी किए. देश के 150 पिछड़े और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में हमने वित्तीय वर्ष 2021 में महिला एसएचजी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ₹725.4 लाख व्यय किए. यह राशि वित्तीय वर्ष 2020 के मुकाबले 17.8% अधिक थी और इसके तहत किए गए प्रयासों से 2.1 लाख एसएचजी ने खाते खोले और 1.3 लाख ने बैंक ऋण लिए. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, डब्ल्यूएसएचजी निधि से कुल ₹146.7 करोड़ का उपयोग किया गया.

वर्ष दर वर्ष स्वयं सहायता समूहों ने अपने सदस्यों को उद्यमशील गतिविधियाँ अपनाने; उन्हें जारी रखने; वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और निजी ऋणदाताओं पर निर्भरता कम करने में मदद की है (चित्र 4.2). साथ ही, बड़े सामाजिक बदलाव की संभावनाएं भी जगाई हैं (बॉक्स 4.1).

बॉक्स 4.1: अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के बसवीन और जोगिनियों को मुख्यधारा से जोड़ने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

आंध्र प्रदेश देवदासी उन्मूलन अधिनियम 1986 लागू होने के तीन दशक बाद भी बसवीन (जोगिनी) पर इसका बहुत कम असर हुआ. उन्हें मुख्य धारा में लाना एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौती था.

हाल ही में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित अध्ययन में बसवीन समुदाय का सर्वेक्षण किया गया. अपनी खराब स्थिति के लिए उन्होंने परिवार, समुदाय और आमदनी न होना जैसे कारण बताए. हालांकि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी लोग एसएचजी के बारे में जानते थे, तथापि उनमें से बहुत कम ऐसे किसी समूह के सदस्य थे.

बसवीन के एसएचजी गठित करते समय सरकार की योजनाओं से लाभ लेना एक सार्थक विकल्प था. अध्ययन में यह सिफारिश की गई थी कि एक समर्पित राज्य स्तरीय समिति बने जो यह सुनिश्चित करे कि वर्तमान कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ सभी पात्र बसवीन तक पहुंचें; उन्हें आजीविका के अवसर मिलें, क्षमता निर्माण हो और एसएचजी गठन के जरिये वित्तीय सहायता पहुंचे; परामर्शी सेवाएँ मिलें और महिला एसएचजी, ग्रामीणों, अधिकारियों तथा एनजीओ के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाते हुए उन्हें फिर जोड़ा जाए.

नोट:

1. एनजीओ = गैर सरकारी संगठन; एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.
2. बसवीन (आंध्र प्रदेश), जोगिनी (तेलंगाणा), मातम्मा (तमिनलाडु), और देवदासी (कर्नाटक) कुमारी अविवाहित लड़कियां हैं जिनका मध्यकालीन सामाजिक प्रथा के नाम पर स्थानीय देवता के साथ विवाह कर दिया जाता है.

स्रोत: एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कॉलेज ऑफ़ इंडिया, हैदराबाद द्वारा 'आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एसएचजी व अन्य संवर्धन योजनाओं के माध्यम से जोगिनी महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बेहतर करना' (नाबार्ड द्वारा प्रायोजित अध्ययन).

संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का वित्तपोषण

बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021 में 41.3 लाख नए जेएलजी का संवर्धन और वित्तपोषण किया जिसे मिलाकर अब तक कुल 133.8 लाख जेएलजी का वित्तपोषण किया गया. नाबार्ड ने इसे लागू करने वाले भागीदारों को नकद प्रोत्साहन दिया (इस वर्ष इसे दोगुना करके ₹4,000 प्रति समूह किया गया); ऋण राशि पर बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया गया; और जेएलजी गठन के लिए बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किए गए. वर्ष के दौरान देश भर में 6.9 लाख जेएलजी के संवर्धन के लिए हमने ₹219.7 करोड़ स्वीकृत किए. 31 मार्च 2021 तक हमने 22 राज्यों में 70 सहमति ज्ञापन निष्पादित किए जिनमें से 49 क्षेत्रा बैंकों के साथ; 15 भारतीय स्टेट बैंक के साथ (पाँच राज्यों में); 4 (प्रत्येक के साथ एक) सिंडिकेट बैंक (अब, केनरा बैंक), इलाहाबाद बैंक (अब, इंडियन बैंक), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ़ बडौदा के साथ; और 2 (प्रत्येक) झारखंड और ओडिशा में राज्य सहकारी बैंकों के साथ निष्पादित किए गए. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए नैबफ़िन्स के साथ एक सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया, और एक तीन वर्षीय प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की गई जिसके तहत नाबार्ड असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जेएलजी संवर्धक संस्था के रूप में कार्य करेगा.

4.1.2 प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करना

प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए नाबार्ड किसान क्लबों को सहायता प्रदान करता है. वर्तमान में, मौजूदा किसान क्लबों के एकत्रीकरण या सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अच्छा कार्य कर रहे किसान क्लबों को एफ़पीओ के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. किसान क्लबों की गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करने और उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'कृषक सारथी' पोर्टल (www.krishaksarathi.com) तैयार किया गया.

4.1.3 किसान समूहों का गठन

छोटे जोतधारकों को समर्थ कृषि व्यवसायी के रूप में विकसित करने में एफ़पीओ प्रभावी सिद्ध हुए हैं. नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ़); पीओडीएफ़ विभेदक ब्याज; और उत्पादक संगठन विकास तथा उन्नयन समूहन निधि से एफ़पीओ के गठन, उनके क्षमता निर्माण/मार्गदर्शन, ऋण प्राप्त करने में सहायता और बाज़ार लिंकेज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है (तालिका 4.1).

एफ़पीओ सदस्यों में करीब 83% छोटे उत्पादक और 46% महिलाएं हैं. लगभग सभी एफ़पीओ ने बाज़ार लिंकेज स्थापित किए हैं और उनमें से 808 ने अपने सदस्यों के लिए बैंक ऋण प्राप्त किए हैं. 3,857 एफ़पीओ

तालिका 4.1: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पीओडीएफ़, पीओडीएफ़-आईडी और प्रोड्यूस निधि के तहत एफ़पीओ की संचयी स्थिति

विवरण	पीओडीएफ़-आईडी	पीओडीएफ़	प्रोड्यूस	समग्र
लक्ष्य	3,000	-	2,000	5,000
स्वीकृत एफ़पीओ (वित्तीय वर्ष 2021 में)	2,906	-	2,154	5,060
	[576]	-	-	[576]
संचयी रूप से पंजीकृत एफ़पीओ (वित्तीय वर्ष 2021 में)	1,627	-	2,094	3,721
	[633]	-	-	[633]
स्वीकृत अनुदान (₹ करोड़) (वित्तीय वर्ष 2021 में)	248.0	47.1	205.4	500.6
	[46.8]	-	-	[46.8]
प्रयुक्त अनुदान (₹ करोड़) (वित्तीय वर्ष 2021 में)	68.2	21.8	176.4	266.5
	[38.6]	[4.1]	[11.3]	[53.9]
शेयरधारक के रूप में सम्मिलित किसान (लाख)	4.7	-	9.1	13.8
एफ़पीओ द्वारा एकत्रित शेयर पूंजी (₹ करोड़)	45.3	-	98.2	143.5
इन परियोजनाओं से जुड़ी उत्पादक संगठन संवर्धक संस्थाएं	663	-	779	1,442
संसाधन सहयोग एजेंसियाँ	15	-	17	32
31 मार्च 2020 को शेष समूह निधि (₹ करोड़)	252.0	200.0	34.9	-
2020-21 के दौरान प्रयुक्त समूह निधि (₹ करोड़)	38.6	4.1	11.3	-
31 मार्च 2021 को शेष समूह निधि (₹ करोड़)	314.2	300.0	23.6	-

नोट: 1. एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन; पीओडीएफ़ = उत्पादक संगठन विकास निधि; पीओडीएफ़-आईडी = पीओडीएफ़ विभेदक ब्याज; प्रोड्यूस = उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि.

2. वर्गाकार कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वित्तीय वर्ष 2021 से संबंधित हैं.

3. वर्ष के दौरान ₹4 करोड़ के आहरण और ₹104.0 करोड़ रुपये के लाभ के विनियोग के बाद 31 मार्च 2021 को पीओडीएफ़ के तहत समूह निधि ₹300 करोड़ थी .

चित्र 4.3: किसान-सदस्यों पर एफ़पीओ का प्रभाव

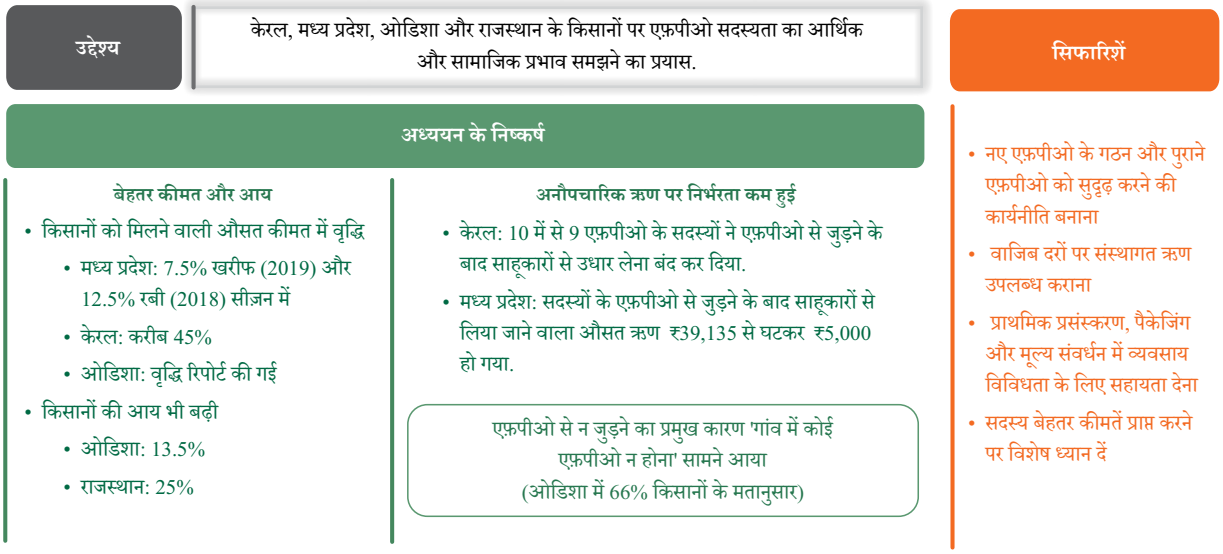

नोट: एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन.

स्रोत: नाबार्ड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों- केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान द्वारा स्वयं किया गया अध्ययन

के 12.8 लाख से अधिक उत्पादक सदस्यों के डेटा का डिजिटलीकरण किया गया. विभिन्न राज्यों में एफ़पीओ के नमूना मूल्यांकन से स्पष्ट है कि इसके सदस्यों को वास्तविक लाभ पहुंचा है (चित्र 4.3). एफ़पीओ की चुनौतियों और कार्यनीति की पहचान के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया गया (बॉक्स 4.2).

बॉक्स 4.2: कृषक उत्पादक संगठनों के लिए रणनीतियां - नीति और निष्पादन

नाबार्ड के कहने पर, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर के डॉ अमर नायक ने देश भर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की सफलता के कारणों की पहचान करने के लिए उनका विस्तृत प्रकरण अध्ययन किया. इस अध्ययन ने ऐसी प्रभावी रणनीतियां बताईं जिनसे एफपीओ अपने आंतरिक प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और समाधान हेतु बाहरी कारकों का लाभ उठा सकते हैं. अध्ययन में निम्नलिखित सिफ़ारिशें की गईं:

एफ़पीओ नीति	*निष्पादन*
1. नीतिगत सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना. 2. केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय करते हुए सुसंगत पॉलिसी संकेत देना. 3. एफ़पीओ मांग पक्ष को ध्यान में रखकर स्थानीय खाद्य आदतों के अनुरूप अपने उत्पाद बनाएं और बीज व अन्य निविष्टियों की खरीद के लिए विविधीकृत फसल पैटर्न अपनाएं. 4. ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर एफ़पीओ का ढांचा तैयार करना ताकि उपभोक्ताओं से उनका जुड़ाव अधिकतम हो. 5. 10,000 एफ़पीओ की राष्ट्रीय योजना की 'एक जिला-एक उत्पाद' नीति को प्रत्येक जिले की आर्थिक संभावनाओं के अनुसार उसके संस्थागत ढाँचे से समन्वित करना.	1. बहु-उत्पाद और सेवा व्यवसाय योजना में उत्पादक सदस्यों की आवश्यकताएं शामिल करना. 2. स्वायत्त और प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार करते समय सदस्यों के हित सर्वोपरि रखना. 3. समग्र विकास और छोटे जोतधारकों के सशक्तीकरण को एफ़पीओ में जन निवेश का दीर्घावधि लक्ष्य बनाना. 4. एफ़पीओ के दीर्घावधि कार्यनिष्पादन और संधारणीयता के लिए क्लस्टर के भीतर आवश्यक भौगोलिक क्लस्टर आकार और सदस्यता पर बल दें. 5. विकास के शुरुआती चरणों में एफ़पीओ की ऋण ज़रूरतें पूरी करने के लिए इक्विटी जुटाएं. 6. लेन-देन लागत कम रखने और निवल आय बढ़ाने के लिए पहले स्थानीय और आस-पास के बाज़ारों की ज़रूरतें पूरी करें, फिर भौगोलिक विस्तार के बारे में सोचें.

वित्तीय वर्ष 2020 में, भारत सरकार ने पांच वर्ष में 10,000 एफ़पीओ के गठन की योजना की घोषणा की. एक कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के रूप में नाबार्ड ने योजना अवधि में लगभग 4,000 एफ़पीओ के संवर्धन का लक्ष्य रखा है. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान नाबार्ड ने 600 के लक्ष्य के समक्ष 634 एफ़पीओ का संवर्धन किया.

नाबार्ड की सहायक कंपनी नैबसंरक्षण के तहत ₹1,000 करोड़ की ऋण गारंटी निधि स्थापित की गई जिसमें 50% भारत सरकार और 50% नाबार्ड ने योगदान दिया.

4.1.4 कृषीतर उत्पादकों के समूहों को सहायता

कृषीतर उत्पादक संगठन (ओएफ़पीओ)-हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में कार्यरत गैर कृषि उत्पादकों के समूहों को (8 ओएफ़पीओ) ₹4.5 करोड़ की वचनबद्ध अनुदान सहायता प्रदान की गई जिससे वित्तीय वर्ष 2021 में 7 राज्यों के 2,365 दस्तकार और शिल्पकार लाभान्वित हुए (शोकेस 4.1). संचयी रूप से देश के 20 राज्यों के 40 ओएफ़पीओ को ₹17.4 करोड़ की सहायता दी गई है जिससे अब तक 14043 सदस्य लाभान्वित हुए हैं.

महामारी की वजह से ओएफ़पीओ के व्यापार चक्र पर बुरा असर पड़ा. इससे उबरने के लिए नाबार्ड ने सभी पंजीकृत ओएफ़पीओ को एकबारगी परिक्रामी निधि सहायता के रूप में ₹5 लाख प्रदान किए.

4.2 बेहतर आजीविका के लिए प्रयास

4.2.1 क्षमता निर्माण

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 में सूक्ष्म वित्त पर 20,034 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जिनमें बैंकों एवं अन्य हितधारक संस्थाओं के 1.7 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया. इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएसएचजी निधि से ₹2.2 करोड़ की सहायता जारी करके वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 1,156 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 41,000 प्रतिभागियों ने सहभागिता की. वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के तहत संचयी रूप से अब तक लगभग 42.2 लाख प्रतिभागियों और डब्ल्यूएसएचजी निधि के तहत 3.7 लाख प्रतिभागियों का क्षमता निर्माण किया गया.

शोकेस 4.1: कश्मीर घाटी के गलीचे - संयुक्त प्रयासों की एक सुखद कथा

चुनौती

कश्मीर के विश्वप्रसिद्ध गलीचे अपने डिज़ाइन और कारीगरी के लिए जाने जाते हैं और इनके खरीददार इन्हें संजोकर रखते हैं. लेकिन, इनके कारीगरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- अलग-अलग जगहों पर तथा असंगठित बुनाई गतिविधियों; मध्यस्थों से ली गई उधारी; गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल न मिल पाना, डिज़ाइन, संस्थागत ऋण और बाज़ार से जुड़ी चुनौतियां; गांठ लगाने की पारंपरिक विधि से स्वास्थ्य के खतरे आदि.

पहल

नाबार्ड से ₹30 लाख की अनुदान सहायता के साथ कश्मीर घाटी के बारामुला व बांदीपुरा जिलों के 14 गांवों के 329 गलीचा बुनकरों का एक कृषीतर उत्पादक संगठन (ओएफ़पीओ) बनाया गया.

समाधान

ओएफ़पीओ सदस्य शहर कार्पेट प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत हुए और ₹4.9 लाख की शेयर पूंजी एकत्रित की. डिज़ाइन बैंक तक पहुंच और कच्चे माल की गुणवत्ता जांच के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ कार्पेट टैक्नॉलॉजी, श्रीनगर के साथ एक सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया. नाबार्ड ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भी सहयोग दिया. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान इस ओएफ़पीओ ने ₹5 लाख की परिक्रामी निधि लेते हुए श्रीनगर में निर्यातकों को सीधे गलीचों की आपूर्ति की और इस प्रकार महामारी से व्यापार में आए संकट से उबरने का मंत्र सीखा.

प्रभाव

- कुल 61 बुनकर ऋण-जाल से बाहर आए.
- डिज़ाइन बैंक से प्राप्त नए डिज़ाइन्स से बुनकरों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिले.
- गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सुनिश्चित व समय पर आपूर्ति से स्वतंत्र बुनकरों को 20% अधिक लाभ हुआ.

4.2.2 कौशल और उद्यमिता विकास

नाबार्ड तीन प्रकार के कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करता है: सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी); आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) तथा कौशल विकास कार्यक्रम. हाल में जेएलजी सदस्यों को भी एमईडीपी तथा एलईडीपी के लिए पात्र बनाया गया है. प्रतिभागियों को दैनिक भत्ते के अलावा, मार्केटिंग, ई-मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकिंग, प्रदर्शन इकाई पर अतिरिक्त प्रशिक्षण और एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है (चित्र 4.4).

वित्तीय वर्ष 2021 से एमईडीपी के लिए वित्तीय सहायता दोगुनी करके ₹1 लाख की गई है. इसी तरह, कृषि क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित एलईडीपी के लिए वित्तीय सहायता ₹6.4 लाख से बढ़ाकर ₹8.8 लाख और गैर कृषि गतिविधियों से संबंधित एलईडीपी के लिए ₹4.98 लाख से बढ़ाकर ₹7.15 लाख की गई है.

उल्लेखनीय प्रयास के रूप में, नाबार्ड की सहायक कंपनी नैबफ़ाउंडेशन ने अक्तूबर 2020 में 'मेरा पैड मेरा अधिकार' पहल के तहत देश भर के 35 जिलों में महिलाओं के लिए एलईडीपी कार्यक्रम आयोजित किए (बॉक्स 4.3).

चित्र 4.4: कौशल और उद्यमिता को प्रोत्साहन

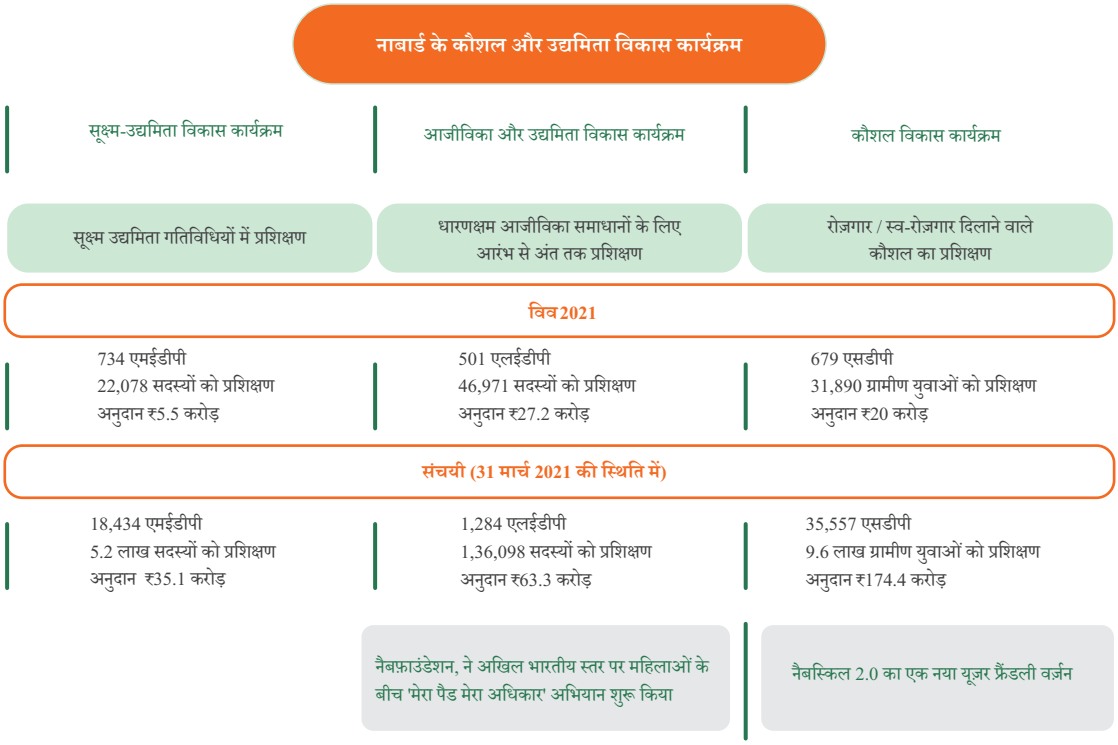

नोट: एलईडीपी = आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम; एमईडीपी = सूक्ष्म-उद्यमिता विकास कार्यक्रम; एसडीपी = कौशल विकास कार्यक्रम

बॉक्स 4.3: 'मेरा पैड, मेरा अधिकार'

'मेरा पैड मेरा अधिकार अभियान' के तहत, अखिल भारतीय आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) के माध्यम से एसएचजी सदस्यों को सैनिटेरी पैड बनाने और बेचने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. लक्षित जिलों में एसएचजी के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के साथ-साथ इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं तक माहवारी स्वच्छता के साधन पहुंचाना भी है. वित्तीय वर्ष 2021 में ₹2 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय में से ₹1.6 करोड़ का उपयोग किया गया, 33 जिलों में मशीनें स्थापित की गईं और 29 जिलों में उत्पादन आरंभ हुआ.

पद्मश्री अरुणाचलम मुरुगनंथम जिन्होंने कम लागत वाले पैड बनाने की पुरस्कृत मशीन डिज़ाइन की, वे इस परियोजना में तकनीकी भागीदार हैं. इन एलईडीपी का शुभारंभ महिला, बाल विकास और कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने किया.

नाबार्ड के माध्यम से पीपल ट्री वेंचर्स द्वारा त्वरित कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन

कोविड महामारी से उबरने के एक उपाय के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में घर लौटे 10,000 प्रवासियों को निर्माण कार्य में शीघ्र कुशल बनाने के लिए एक मेगा परियोजना के तहत ₹5 करोड़ स्वीकृत किए गए ताकि उन्हें मज़दूरी या स्वरोज़गार मिल सके. इस परियोजना से उत्तर प्रदेश (रायबरेली, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, महाराजगंज और इलाहाबाद); बिहार (मुजफ्फरपुर, वैशाली, रोहतास और गया) और झारखंड (हज़ारीबाग) के ग्रामीण युवा लाभान्वित हुए हैं.

4.2.3 आजीविका संबंधी गतिविधियों का संवर्धन

नाबार्ड ने प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अंतरण, एक्सटेंशन, नवोन्मेष, कृषीतर गतिविधियों, परिक्रामी निधि सहायता, मार्केटिंग सहायता, स्टार्ट अप्स और इन्क्यूबेटर्स को सहायता आदि के जरिये अनेक आजीविका अवसर सृजित किए हैं.

कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान नाबार्ड ने 166 परियोजनाओं के लिए ₹20 करोड़ स्वीकृत (₹12.6 करोड़ संवितरित) किए. इनमें कृषक समृद्धि; जीरो बजट प्राकृतिक खेती; प्रमाणित बीज उत्पादन; हाइड्रोपॉनिक्स का उपयोग करके चारा और सब्जियां उगाना; एकीकृत कृषि प्रणालियां; बायो फ्लॉक मछलीपालन; वाणिज्यिक मधुमक्खीपालन; उच्च घनत्व अमरूद उत्पादन और बटेर पालन शामिल है.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी करते हुए नाबार्ड ने 270 परिचय दौरों के लिए सहायता प्रदान की जिनसे 8022 किसान नई और नवोन्मेषी कृषि के तरीकों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाए. इन दौरों पर प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹2.1 करोड़ का व्यय किया गया.

नाबार्ड ने कृषि उत्पाद, मशीनरी और नवोन्मेषी पद्धतियों का प्रदर्शन करने वाले कृषि मेलों, अन्य मेलों और कार्यशालाओं आदि के लिए भी सहायता प्रदान की है और इन गतिविधियों पर ₹1.2 करोड़ से अधिक राशि व्यय की है.

कृषीतर (गैर-कृषि) क्षेत्र का विकास

मार्केटिंग के लिए पहलें

नाबार्ड कृषि व कृषीतर, दोनों क्षेत्रों के उत्पादकों के उत्पादों के प्रभावी विपणन में सहायता करता है और इसके लिए ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्ट स्थापित करने में सहायता, कारीगरों व कला-कौशल से जुड़े व्यक्तियों की राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियों व मेलों में सहभागिता के लिए सहायता की जाती है (चित्र 4.5; शोकेस 4.2).

चित्र 4.5: विपणन प्रयासों में प्रगति

ग्रामीण हाट	ग्रामीण मार्ट	मेले/प्रदर्शनियाँ
वित्त 2021		
58 ग्रामीण हाट ₹7.6 करोड़ वित्तीय सहायता	155 ग्रामीण मार्ट ₹7.6 करोड़ वित्तीय सहायता	• वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान लंबे लॉकडाउन के कारण इन कार्यक्रमों के आयोजन में बाधा आई • जैसे-जैसे स्थिति बेहतर हुई, 9 क्षेत्रीय कार्यालयों ने कोविड-19 हाईजीन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ₹2.7 करोड़ की अनुदान सहायता से 10 प्रदर्शनियों का आयोजन किया.
संचयी (31 मार्च 2021 की स्थिति में)		
636 ग्रामीण हाट ₹54.2 करोड़ वित्तीय सहायता	1,085 ग्रामीण मार्ट ₹23.2 करोड़ वित्तीय सहायता	

शोकेस 4.2: ग्रामीण मार्ट के साथ खुले सफलता के द्वार - ग्रीन पाश्चर ऐग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पहल

वित्तीय वर्ष 2020 में, लॉकडाउन के दौरान एक कृषक उत्पादक कंपनी (एफ़पीसी), 'ग्रीन पाश्चर ऐग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने नाबार्ड के सहयोग से अपना ग्रामीण मार्ट जारी रखा. 'बड़े एरिया एग्री एंड अलाइड फ़ार्मिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी' द्वारा संवर्धित इस उत्पादक कंपनी ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर यह पहल आगे बढ़ाई.

लाभार्थी

नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा जिलों के किसान और उपभोक्ता.

गतिविधियाँ और प्रभाव

दीमापुर और नागालैंड के अन्य जिलों से ताज़ा व स्थानीय सब्जियां और फल खरीदे गए और दीमापुर और उसके तथा आस-पास के इलाके के साथ-साथ कोहिमा के कुछ इलाकों में उनकी बिक्री की गई. कंपनी होम डिलिवरी भी कर रही थी. अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान जब महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण अधिकतर दुकानें बंद थीं, उस दौरान इस एफ़पीसी का टर्नओवर लगभग ₹65 लाख रहा.

भौगोलिक संकेतकों का संवर्धन

निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी;[3] गाज़ीपुर वाल हैंगिंग; वाराणसी सॉफ़्ट स्टोन जाली वर्क[4]; बनारस गुलाबी मीनाकारी[5]; मिर्ज़ापुर हस्तनिर्मित दरी (कार्पेट) उन 72 उत्पादों में से हैं जिन्हें नाबार्ड के सहयोग से भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के रूप में पंजीकृत किया गया है. हमने आरंभ से अंत तक सहायता के लिए पॉलिसी दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें जीआई उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने, बाज़ार तक पहुंच बनाने/ बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने, उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने, पंजीकरण, प्रवर्तन और विपणन की लागत कम करने आदि पंजीकरण-पूर्व से लेकर पंजीकरण के बाद तक की सहायता शामिल है.

स्टार्ट अप और नवोन्मेषी प्रणालियों को सहायता

कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र कृषि पर केंद्रित विचारों, नवोन्मेषों और प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करते हैं. ये केंद्र विभिन्न कृषि स्टार्ट अप और कृषि उद्यमियों के सपनों को सक्षम वाणिज्यिक इकाइयों के रूप में साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता उपलब्ध कराते हैं. नाबार्ड कृषि विश्वविद्यालयों और ऐसे ही अन्य संस्थानों में ग्रामीण कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र स्थापित करने के लिए आरंभ से अंत तक सहायता और अनुदान प्रदान करता है. इसमें कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी, दोनों के लिए सहायता शामिल है (चित्र 4.6).

नाबार्ड ने उद्भवन केंद्रों और अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से 'डैथ वैली' चरण में चल रहे कृषि और ग्रामीण स्टार्ट अप की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2020 में ₹100-करोड़ की उत्प्रेरक पूंजी निधि स्थापित की है. इस निधि से नाबार्ड की सहायक कंपनी नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड और मदुरै ऐग्री बिज़नेस इन्क्यूबेशन फ़ोरम को ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से ₹6 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है (बॉक्स 4.4).

'स्टैंड अप इंडिया' में योगदान

स्टैंड अप इंडिया योजना[6] के एक संपर्क केंद्र के रूप में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिला स्तर पर 238 संवितरण-पूर्व व संवितरण-पश्चात के मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान, कार्यक्रम की समीक्षा, समस्या-समाधान और संभावनापूर्ण उधारकर्ताओं का मार्गदर्शन शामिल है.

ऋण सहबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना का प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2021 में नाबार्ड ने भारत सरकार के सूक्ष्म व लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी योजना के तहत 239 आवेदन स्वीकृत किए और निर्धारित श्रेणियों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए सहायता के रूप में ₹1,901.6 लाख (अब तक कुल ₹9,556.1 लाख) की राशि जारी की.

चित्र 4.6: ग्रामीण और कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र स्थापित करने में आरंभ से लेकर अंत तक सहायता

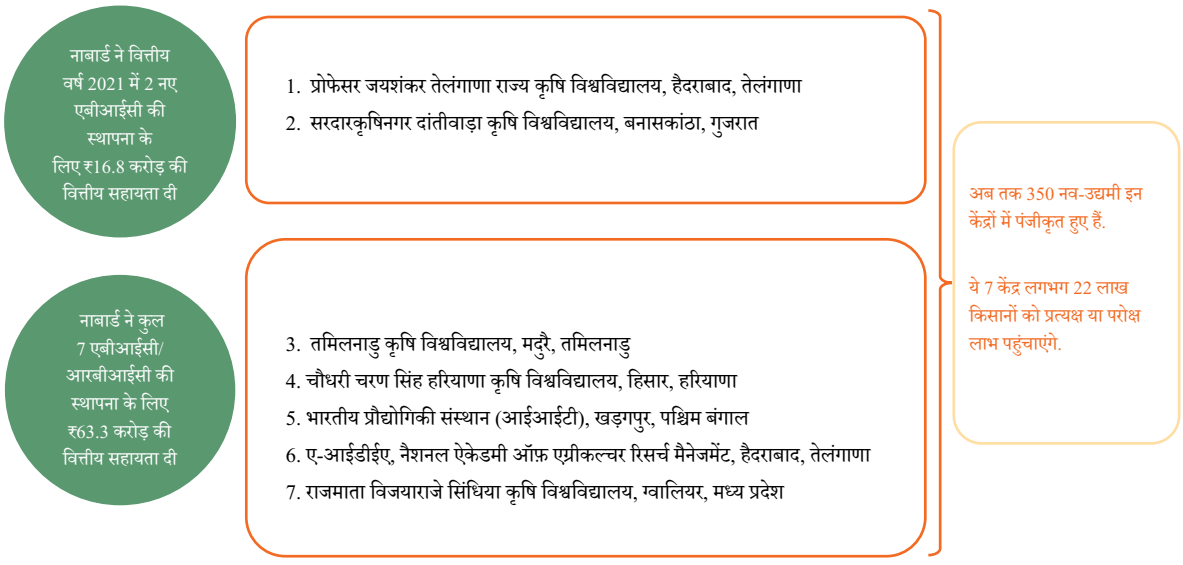

नोट: एबीआईसी = कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्र; आरबीआईसी = ग्रामीण कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्र.

बॉक्स 4.4: तमिलनाडु में नाबार्ड से सहायता प्राप्त मदुरै एग्री-बिज़नेस इन्क्यूबेशन फ़ोरम

एमएबीआईएफ़ की लॉबी जहां नव-उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पाद सजाए गए हैं

एमएबीआईएफ़ के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष, नाबार्ड

कुल 86 स्टार्ट अप, 243 एफ़पीओ और 32 विचार-स्तर के स्टार्ट अप की पहचान की गई और एमएबीआईएफ़ ने दो वर्ष की अल्पावधि में उन्हें बड़े स्तर पर समर्थ बनाया. सेक्शन 8 कंपनी के रूप में मई 2018 में पंजीकृत एमएबीआईएफ़ नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त पहली एबीआईसी है और यह तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है. एमएबीआईएफ़ में अपने हुनर को चमका रहे नव-उद्यमियों के कई सपने हैं और प्रोटोटाइप हैं जिन्हें एबीआईसी में सामूहिक ज्ञान और अनुभव के बल पर चमकाते हुए उन्होंने करीब 100 नए बिक्री-योग्य उत्पाद विकसित किए हैं. यहाँ से 11 पेटेंट, 46 ट्रेडमार्क, 38 पौधों की क़िस्मों और 4 जीआई के लिए सहायता मिली है. एमएबीआईएफ़ अब ब्लॉक चेन, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऐसी ही अन्य तकनीकों का लाभ लेकर कृषि और ग्रामीण वातावरण की बाधाओं को दूर करने की संभावनाएं तलाश रहा है. एमएबीआईएफ़ में 'जलीकट्टू' एक विशिष्ट और अग्रणी 'विचार कुम्भ' है जिसमें विद्यार्थी उद्भवन के लिए कृषि और ग्रामीण नवोन्मेष के विचार प्रस्तुत करते हैं.

मदुरै स्थित यह एबीआईसी उत्पादों को उत्कृष्ट बनाने, मार्केट वैलिडेशन, व्यवसाय योजना तैयार करने और नए उद्यमों को कानूनी सहायता प्रदान करने जैसे कार्य करता है. यह अपने कार्यक्षेत्र में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि प्रथाओं और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में बड़े बदलाव ला रहा है; किसानों को उनके अपने कोल्ड स्टोरेज में उनकी उपज के भंडारण और विपणन में मदद कर रहा है; खरीदार-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है; किसान-एफ़पीओ में समन्वय कर रहा है; और छोटे किसानों को तमिलनाडु के भीतर व बाहर बाज़ार खोजने में मदद कर रहा है. इस एबीआईसी ने कृषि को धारणक्षम व्यापार के रूप में विकसित करने के लिए किसानों व कृषि उद्यमियों की अनेक आधारस्तरीय समस्याओं का समाधान किया है.

नोट:

1. एबीआईसी = कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्र; एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन; जीआई= भौगोलिक संकेतक; एमएबीआईएफ़ = मदुरै एग्री-बिज़नेस इन्क्यूबेशन फ़ोरम; टीएनएयू = तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मदुरै.
2. एमएबीआईएफ़ भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार सहायता केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है.

4.3 वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन

वित्तीय वर्ष 2020 से नाबार्ड ने विशेष फ़ोकस वाले जिलों (एसएफ़डी) के लिए विभेदीकृत कार्यनीति अपनाई है जिसके तहत वित्तीय समावेशन निधि से अनुदान सहायता बढ़ाकर कुल परिव्यय के 90% की दर पर दी जाती है. विशेष फ़ोकस वाले जिलों में आकांक्षी जिले, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिले, ऋण-वंचित (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित) जिले, पहाड़ी जिले या पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिले, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड ने इन पांच मुख्य श्रेणियों-1) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम; 2) बैंकिंग प्रौद्योगिकी अंगीकरण; 3) विनियामक आधारभूत; 4) कनेक्टिविटी और बिजली संबंधी सुविधाओं और 5) डिजिटल लेन-देन की निम्नलिखित मदों के लिए सहायता दी गई:

- वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कैम्प;
- मोबाइल वैन के जरिये बैंकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन;
- हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के बैंकविहीन गांवों में किऑस्क आउटलेट खोलना;
- वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करना;
- रुपे किसान कार्ड एक्टिवेशन के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) और/ या माइक्रो एटीएम पर ग्रीन पिन सुविधा का प्रावधान;
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की प्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए)/ ई-केवाईसी[7] प्रयोक्ता एजेंसी की सदस्यता;
- वी-सैट;[8] माइक्रो-एटीएम और पॉइंट-ऑफ़-सेल (पॉस) उपलब्ध कराना/ मोबाइल पॉस उपकरण; मोबाइल सिग्नल बूस्टर; और एसएफ़डी में यूपीएस[9] के लिए सौर पैनल; और
- विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग, जैसे-
  - » भीम (बीएचआईएम) यूपीआई;
  - » जन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली;
  - » भारत बिल पेमेंट सिस्टम; और
  - » केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री.

31 मार्च 2021 तक संचयी रूप से नाबार्ड द्वारा ₹4,592.8 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹2,527.7 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2016 में नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (नाफिस) किया था जिसमें देश भर के 245 जिलों के 40,000 ग्रामीण परिवार शामिल किए गए थे. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नाफिस 2.0 सर्वेक्षण करने जा रहे हैं (संदर्भ वर्ष - वित्तीय वर्ष 2021) जिसे देश के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा और पहले से अधिक संख्या में परिवार शामिल किए जाएंगे.

वित्तीय समावेशन एक बहुआयामी संकल्पना है. इसके तहत किया गया कोई भी उपाय ऋण प्रदान करने तक सीमित न हो बल्कि उसमें वित्तीय और डिजिटल पहुंच का विस्तार, गहराई और व्यापकता भी हो. नाबार्ड ने राज्य-वार नैफ़िनडेक्स तैयार किया है जो परिवार-स्तरीय तीन आयामों पर आधारित है- पारंपरिक बैंकिंग उत्पाद, आधुनिक बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय समावेशन को दर्शाने के लिए नाफिस के 18 संकेतकों के माध्यम से आकलित भुगतान प्रणालियाँ (बॉक्स 4.5).

बॉक्स 4.5: नैफ़िनडेक्स—वित्तीय समावेशन का संकेतक

नैफ़िनडेक्स के अंतर्गत नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण नाफिस, वित्तीय वर्ष 2017, से प्राप्त फ़ील्ड आंकड़ों के आधार पर परिवारों की वित्तीय समावेशन सेवाओं तक पहुंच की राज्य-वार स्थिति जानने का प्रयास किया जाता है. नैफ़िनडेक्स तीन आयामों से मिलकर बना है- पारंपरिक बैंकिंग उत्पाद, आधुनिक बैंकिंग सेवाएं और भुगतान प्रणालियां. औसत अखिल भारतीय इंडेक्स 0.337 रहा जो वित्तीय समावेशन के विस्तार की महती आवश्यकता बताता है. नैफ़िनडेक्स और आयाम संकेतकों में राज्य दर राज्य अंतर मौजूद है. कई राज्य जहां पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों की उपलब्धता कम है, वहां आधुनिक बैंकिंग उत्पादों और भुगतान प्रणालियों तक बेहतर पहुंच दिखी. इससे स्पष्ट है कि जिन राज्यों में बैंकिंग उत्पादों तक पहुंच कम है, वहां यह संकेतक विस्तार के लिए राह दिखाता है.

4.4 डिजिटल अभियान

तालिका 4.2: प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित कुछ चयनित डिजिटल पहलें

पहल	*उद्देश्य*	*स्थिति (31 मार्च 2021)*
ई-शक्ति	स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत समूहों को अपने लेखा-बही का मानकीकरण करने और उनके कार्य-संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए आद्योपांत समाधान के रूप में एक डिजिटल प्रणाली/ पोर्टल उपलब्ध कराना.	• देश भर के 281 जिलों में जारी • वित्तीय वर्ष 2021 तक ऋण लिंकेज 4.7 लाख से (कुल का 38%) बढ़कर 6.5 लाख समूह (कुल का 53%) हुआ. • पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के आंकड़े: » 12.3 लाख एसएचजी; » 140.9 लाख सदस्य; और » 1.7 लाख से अधिक गांव.
नाबार्ड भुवन	निम्नलिखित की वेब आधारित निगरानी: • नाबार्ड से सहायता प्राप्त वाटरशेड परियोजनाएं. • प्रभाव मूल्यांकन (विकास से पूर्व तथा बाद के समय की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना).	666 वाटरशेड परियोजनाएं पोर्टल से जोड़ी गईं.
जनजाति विकास	जनजाति विकास निधि से संचालित परियोजनाओं की निगरानी के लिए डाटा उपलब्ध कराना	28 राज्यों के 281 जिलों को कवर किया गया, जिनसे अब तक 5.29 लाख परिवार लाभान्वित हुए.
कृषक सारथी	किसान क्लबों की प्रभावी निगरानी के लिए उनसे संबंधित सूचनाओं का डिजिटलीकरण.	24,450 किसान क्लबों के आंकड़े प्राप्त किए गए.
नैबस्किल 2.0 (एक नया यूज़र-फ्रैंडली संस्करण)	नाबार्ड के कार्यक्रमों से संबद्ध प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं, प्लेसमेंट एजेंसियों और कौशल विकास प्रणालियों से जुड़े अन्य स्टेकहोल्डरों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करना.	नाबार्ड ने ग्रामीण युवाओं को रोज़गार और स्व-रोज़गार प्रदान करने में सहायक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की: • 9.6 लाख ग्रामीण युवा; • 35,557 कार्यक्रम; और • ₹174.4 करोड़ की अनुदान सहायता.
नैबप्रज्ञा	अनुसंधान और विकास निधि के परिचालन का डिजिटलीकरण करना ताकि इस निधि के अंतर्गत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति और प्रोसेसिंग की जा सके तथा अध्ययनों में अनुसंधान भागीदारों के साथ बेहतर साझेदारी की जा सके.	पोर्टल संचालन के लिए तैयार है.
नैबएफ़पीओ	नाबार्ड द्वारा संवर्धित सभी कृषक उत्पादक संगठनों का पैरामेट्रिक डेटा (सदस्यता, पंजीकरण और वित्तीय विवरण, ग्रेडिंग आदि) प्राप्त करना.	4,071 एफ़पीओ को इससे जोड़ा गया.
एन्श्योर	• वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आधारस्तरीय ऋण प्रवाह सहित अन्य वित्तीय आंकड़े प्राप्त करना. • नाबार्ड और भारत सरकार द्वारा संवर्धित कार्यक्रमों और योजनाओं की नवीनतम स्थिति प्राप्त करना. • बैंकों से सब्सिडी के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करना और आवेदन की ट्रैकिंग उपलब्ध कराना. • बैंको द्वारा एसएचजी-जेएलजी विवरणियों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण	पोर्टल ग्राहक संस्थाओं और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दर्ज डेटा एकत्र करता है. यह पोर्टल पूरी तरह कार्यशील है.
राजभाषा सेतु	राजभाषा प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों को डिजिटाइज़ करना जिसमें डेटा दर्ज करने और कार्यालयीन पत्राचार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए आंकड़े भरने और रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान हो.	इसका शुभारंभ किया जा चुका है और यह शीघ्र ही कार्यशील होगा.
आरआईडीएफ़ (वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्लिकेशन)	• ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की मंजूरियों और संवितरण के तात्कालिक आंकड़े. • आस्तियों की निगरानी तथा जियो-टैगिंग केलिए मोबाइल ऐप. • आहरण आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति और प्रोसेसिंग.	आरआईडीएफ़ मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाली154 आरआईडीएफ़ परियोजनाओं के निगरानी दौरे किए गए.
विद्यार्थी इंटर्नशिप योजना	• योजना की पहुंच को व्यापक बनाने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इसे ऑटोमेट करना. • योजना हेतु 'उपयोग के लिए तैयार' प्रबंध सूचना प्रणाली उपलब्ध कराना.	वित्तीय वर्ष 2021 में, देश भर में 75 सीटों के लिए 3,162 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए.

नोट: एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन; जेएलजी = संयुक्त देयता समूह; आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि; एसएचजी = स्वयं सहायता समूह; एसआईएस = विद्यार्थी इंटर्नशिप योजना

4.5 अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय

नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास पर शोध के लिए सहायता देता है जिसके परिणाम नीति निर्माताओं और जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं. नाबार्ड का आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग इस प्रकार के अनुसंधान की पहल, समावेशन, संचालन और समन्वय करता है. इसके लिए अनुसंधान और विकास निधि से अनुदान प्रदान किया जाता है (जिसे वर्तमान में ₹50 करोड़ के स्तर पर रखा जा रहा है).[10]

वित्तीय वर्ष 2021 में नाबार्ड में ज्ञान व अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं:

1. अपनी अनुसंधान और विकास निधि की गतिविधियां तय करने और अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र निर्धारित करने के लिए नाबार्ड ने अनुसंधान परामर्श विशेषज्ञ समिति गठित की है.
   क. नाबार्ड के अध्यक्ष (वर्तमान में डॉ. जी. आर. चिंतला) इसके पदेन अध्यक्ष हैं.
   ख. आंतरिक सदस्यों में- नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक (वर्तमान में श्री शाजी के वी और श्री पी वी एस सूर्यकुमार) इसके पदेन सदस्य हैं.
   ग. बाह्य सदस्यों में (आमंत्रण द्वारा) डॉ. अशोक गुलाटी, डॉ. महेन्द्र देव, डॉ. पी. के. जोशी, डॉ. कनकसभापति और श्री तमल बंदोपाध्याय शामिल हैं.
   घ. मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, नाबार्ड (वर्तमान में डॉ. के. जे. एस. सत्यसाई) इसके पदेन सदस्य सचिव हैं.
2. नाबार्ड शोध अध्ययनों, सम्मेलन, संगोष्ठियों और नाबार्ड चेयर इकाई आदि के लिए अनुदान देकर शोधकर्ताओं के साथ भागीदारी करता है.[11]
3. हमारी विद्यार्थी इंटर्नशिप योजना के तहत 70 विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने, नाबार्ड के अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने और अनुभव अर्जित करने का अवसर प्रदान किया गया.
4. निम्नलिखित विषयों पर विभागीय (इन-हाउस) अध्ययन किए गए:
   क. पश्चिम बंगाल में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का व्यवसाय-सामर्थ्य;
   ख. कोविड-19 की वजह से जारी रहे लॉकडाउन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़े असर का त्वरित अखिल भारतीय आकलन हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त फ़ीडबैक के आधार पर किया गया.
5. समसामयिक विषयों पर दो पुस्तकें प्रकाशित की गईं:
   क. *राइटिंग्स ऑन इंडियन इकोनॉमी* (अर्थव्यवस्था पर लिखे गए आलेखों का संकलन) और
   ख. *अचीविंग एन ईक्वल फ़्यूचर* (महिला समानता से जुड़े विषयों पर महिलाओं द्वारा लिखित व संपादित)
6. वर्तमान में जारी अध्ययनों के लिए ₹2.3 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई, इनमें से प्रमुख अध्ययन हैं:[12]
   क. 'इकोनॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली रिसर्च फ़ाउंडेशन (ईपीडब्ल्यूआरएफ़), मुंबई द्वारा संचालित 'ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांकों के निर्माण पर राज्य-वार नवीकृत प्रयास'
   ख. ईपीडब्ल्यूआरएफ़, मुंबई द्वारा कृषि गणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 'कृषिगत संरचना और कृषि क्षेत्र के संस्थागत ढांचे का रूपान्तरण'
   ग. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कॉलेज ऑफ़ इंडिया, हैदराबाद द्वारा 'आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एसएचजी तथा अन्य संवर्धन योजनाओं के माध्यम से जोगिनी महिलाओं के आजीविका अवसर बेहतर करना'
   घ. सेंटर फ़ॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ द्वारा 'आईडेंटिफाइंग द मोस्ट रिम्यूनरेटिव क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजंस इन हरियाणा: ए स्पेशियल टेंपोरल एनालिसिस'
7. नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 में 111 वेबिनार, सम्मेलन, संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए ₹157.7 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जिनसे निम्नलिखित विषयों पर विचार-मंथन और परिचर्चा को बल मिला:
   क. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर कोविड-19 का प्रभाव
   ख. वोकल फ़ॉर लोकल
   ग. ग्रामीण विकास हेतु घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल और रूपरेखा
   घ. संधारणीय विकास
8. नाबार्ड ने विभिन्न प्रकाशनों, जैसे- स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ लाइवलिहुड्स रिपोर्ट 2020,[13] द भारत माइक्रोफ़ाइनेंस रिपोर्ट 2020,[14] और स्टेट ऑफ ऐग्रीकल्चर फ़ाइनेंसिंग रिपोर्ट[15] के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है.

4.6 ज़मीन से जुड़े संस्थान संकट में भी मज़बूती से खड़े रहे

नाबार्ड ने कृषि और कृषीतर - दोनों क्षेत्रों में अपने मिशन के रूप में लोगों में, उनकी आजीविकाओं में और ज़मीनी स्तर की संस्थाओं में निवेश किया है. वित्तीय वर्ष 2021 में, महामारी की पहली लहर में इसके बेहतरीन परिणाम मिले जब एसएचजी, एफ़पीओ, ओएफ़पीओ और अन्य जन संगठनों ने आम जनता तक अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाई और अर्थव्यवस्था के पहिये को रुकने नहीं दिया. आत्मनिर्भर भारत पैकेज और अभियान भी इन संगठनों के इर्द-गिर्द चला और इन संगठनों ने एक गहन और वृहत्तर भूमिका निभाई.

हालांकि महामारी की प्रत्येक लहर के साथ ज़िंदगियां और अर्थव्यवस्थाएं बिखरती जा रही हैं, लेकिन यह कड़वा अनुभव भविष्य के लिए सीख भी दे रहा है. ऐसे समय में समावेशन और लोगों को जोड़ने वाली प्रौद्योगिकी का

महत्व साबित हुआ है और उसने हमें सिखाया है कि सामुदायिक संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं. जिस प्रकार ग्रामीण भारत ने महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है, उसे देखते हुए यह अत्यंत प्रासंगिक हो गया है कि इन ज़मीनी संस्थाओं को अच्छे समय में निरंतर पोषित और मज़बूत किया जाए. साथ ही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें और अधिक क्षमतावान बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई आपदा आए तो हम बेहतर ढंग से उसका मुकाबला कर सकें. सुदृढ़ संस्थाएं हमें अच्छे और बुरे, दोनों समय में समावेशी प्रगति की ओर ले जाती हैं.

नोट

1. मिनेसोटा के एक लोकतांत्रिक किसान - संयुक्त राज्य अमेरिका में लेबर पार्टी के सदस्य जो मिनियापॉलिस के 47वें मेयर बने.
2. कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि; वित्तीय समावेशन निधि; उत्पादक संगठन विकास निधि; पीओडीएफ़- विभेदक ब्याज; उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि, ग्राम्य विकास निधि; और कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि.
3. काली मिट्टी के बर्तन बनाना.
4. जाली = फिलिग्री.
5. मीनाकारी = धातुओं और सेरेमिक सतहों की इनेमल पेंटिंग.
6. स्टैंड अप इंडिया योजना जो भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को आरंभ की और जिसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है. इसमें प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति/ जनजाति सदस्य और एक महिला उधारकर्ता को उद्यम की स्थापना हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण दिलाने में सहायता की जाती है. नाबार्ड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना के संपर्क केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं.
7. केवाईसी = अपने ग्राहक को जानें.
8. वी-सैट (वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल) एक द्विमार्गी सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है जिसमें 3.8 मीटर से भी छोटा डिश एंटीना होता है.
9. यूपीएस = अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाइ.
10. आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, नाबार्ड के सभी प्रकाशन www.nabard.org पर उपलब्ध हैं.
11. सेंट्रल मरीन फ़िशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई के अलावा सभी चेयर इकाइयों की अवधि पूर्ण हुई, अतः वे वर्तमान में जारी नहीं हैं.
12. नाबार्ड वेबसाइट में नाबार्ड रिसर्च स्टडी सीरिज़ के तहत पूरी रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं.
13. एडीएस (2020), स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ लाइवलीहुड्स रिपोर्ट 2020, ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज़, नई दिल्ली. https://livelihoods-india.org/download-subsection-file.php?key=K1hkTDluYjI4OHBCOHdFUEVMYzNlZz09.
14. सा-धन (2020), द भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2020, सा-धन: द असोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड फ़ाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, नई दिल्ली. https://drive.google.com/file/d/1MmM7JbctxnAz2TREC9pC_hhrkzum_hpf/view?usp=sharing.
15. एडीएस (2021), स्टेट ऑफ एग्रिकल्चर रिपोर्ट, एक्सैस डेवलपमेंट सर्विसेस, नई दिल्ली – (अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है).